भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2069

दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

धाराशिव जिले में भूजल पुनर्भरण योजना

2069. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) धाराशिव जिले में वर्ष 2018 से 2024 तक भूजल पुनर्भरण योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) शुष्क एवं पीले क्षेत्र में प्रस्तुत प्रस्तावों की संख्या क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत शुष्क क्षेत्र में कितने गाँवों में जल की मात्रा में वृद्धि हुई है; और

(घ) जल पुनःपूर्ति एवं नदियों की चौड़ाई बढ़ाने हेतु विशेष योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएमआर) योजना के तहत धाराशिव (उस्मानाबाद) के आकांक्षी जिले में जलभृत पुनरुद्धार के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण शुरू किया गया था। कुल 55 चेक बांध, 46 पुनर्भरण कूप और 20 पीजोमीटर का निर्माण किया गया था और इसे राज्य सरकार को सौंप दिया गया था। इसके अतिरिक्त, जल शक्ति अभियान (जेएसए) के अंतर्गत, विभिन्न जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण कार्यों को आरंभ करने तथा लगभग पिछले 4 वर्षों में महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में 21,200 ऐसे कार्यों को अभिसरण के माध्यम से पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा मिशन मोड अभियान के रूप में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ख) और (ग): सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राज्य सरकारों के समन्वय से देश के डॉयनेमिक भूजल संसाधन का वार्षिक रूप से आकलन किया जा रहा है। वर्ष 2024 के नवीनतम आकलन के अनुसार, धाराशिव जिले में कुल 08 आकलन इकाइयाँ (तालुका) हैं, जिनमें से सभी को 'सुरक्षित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहाँ भूजल निष्कर्षण का चरण 70% से कम है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020 और 2024 के लिए धाराशिव के संसाधन आकलन आंकड़ों के मध्य तुलना करने पर, यह पाया गया है कि कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 0.86 बीसीएम से बढ़कर 0.89 बीसीएम हो गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान भूजल निष्कर्षण का चरण (एसओई) 62.09% से घटकर 59.74% हो गया है। इसे कुल वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन एवं कुल वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।

(घ): जल राज्य का विषय है। भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन मुख्यत राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय

सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन प्रदान किया जाता है। इस दिशा में, जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा महाराष्ट्र के धाराशिव जिले सहित देश में भूजल संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा चुके हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

i. जल शक्ति मंत्रालय का फ्लैगशिप अभियान जल शक्ति अभियान (जेएसए) का वर्ष 2019 से पूरे देश में कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह अभियान जमीनी स्तर पर जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण कार्यों को वितरित करने के लिए विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के तहत सभी प्रयासों और निधियों के अभिसरण और चैनलाइज़ पर आधारित है। वर्तमान में, अति-दोहित और गंभीर जिलों पर विशेष बाल देते हुए जेएसए 2025 का कार्यान्वयन किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी अपने 'जलयुक्त शिवार अभियान' के कार्यान्वयन के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है।

ii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा धाराशिव, महाराष्ट्र सहित पूरे देश के लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर प्लान-2020 को तैयार किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है, जिसमें 185 बीसीएम (बिलियन घन मीटर) जल का संचयन करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की गई है। धाराशिव जिले के लिए, मास्टर प्लान में ग्रामीण क्षेत्रों में 585 चेक डैम और 205 परकोलेशन टैंक के निर्माण की सिफारिश की गई है, ताकि लगभग 58.35 एमसीएम जल का संचयन किया जा सके।

iii. भारत सरकार द्वारा 7 राज्यों के जल की कमी वाले 80 जिलों में अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य थीम सामुदायिक नेतृत्व में भूजल संसाधनों का स्थायी प्रबंधन और मांग प्रबंधन है। वर्तमान में धाराशिव जिले के कुछ हिस्सों में अटल जल का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत भूजल संसाधनों की पुनःपूर्ति और संरक्षण के लिए कई मांग और आपूर्ति पक्ष के उपाय लागू किए गए हैं/किए जा रहे हैं।

iv. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एवं एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से देश में प्रति बूंद अधिक फसल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि और उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है।

v. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण / पुनरुद्धार किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र में लगभग 3,055 अमृत सरोवर हैं।

vi. माननीय प्रधान मंत्री द्वारा सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देकर देश में वर्षा जल संचयन को एक जन आंदोलन बनाने के दृष्टिकोण से जल शक्ति अभियान की गति को अधिक सुदृढ़ करते हुए जल संचय जन भागीदारी: भारत में जल स्थिरता के लिए एक समुदाय-संचालित पथ का शुभारंभ किया गया है। सामुदायिक स्वामित्व और दायित्व-बोध को बढ़ावा देते हुए यह पहल विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट जल चुनौतियों के अनुरूप लागत प्रभावी, स्थानीय समाधान विकसित करना चाहती है।

नदियों को अधिक चौड़ा करना और उनका पुनरूद्धार करना मूल रूप से राज्य सरकारों का दायित्व है और केन्द्र सरकार द्वारा अपने संगठनों यथा सीडब्ल्यूसी के माध्यम से आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

*****